



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 217 राँची ,सोमवार 23 चैत्र 1937 (श०)  
13 अप्रैल, 2015 (ई०)

## परिवहन विभाग

-----  
अधिसूचना

11 अप्रैल, 2015

संख्या -परि.वि.-25/2013 /453 -- मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा - 41 की उपधारा (6) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पथ परिवहन एवं उच्च पथ (परिवहन प्रभाग) मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-4 (ई0) दिनांक 5 जनवरी, 2001 द्वारा झारखण्ड राज्य को वाहनों की निबंधन हेतु आवंटित जे.एच. अक्षर समूह के आलोक में इस विभाग के पत्राक परि0आयु0-35/2001-94 दिनांक 31 जनवरी, 2001 एवं जापांक-1083 दिनांक 10 अगस्त, 2007 के क्रम में झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नांकित एक नव सृजित परिवहन जिला को मोटरगाड़ियों के निबंधन हेतु निम्नलिखित कोड नम्बर (निबंधन चिन्ह) आवंटित किया जाता है:-

1.

क्रमांक	जिला का नाम	आवंटित कोड नम्बर (निबंधन चिन्ह)
1	रामगढ़	JH- 24

2. प्रारम्भ में उक्त जिलों द्वारा "A" सिरिज में निबंधन शुरू किया जायगा, जो 0001 से प्रारम्भ होकर 9999 तक किया जायेगा ।
3. सिरिजों में 9999 के पश्चात् नये सिरिज शुरू किया जायगा । अक्षर आई. एवं ओ. सिरिज का प्रयोग किसी जिले द्वारा नहीं किया जायगा । आई0 एवं ओ0 सिरिज से निबंधन चिन्ह में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना हो जाता है ।
4. प्रत्येक सिरिज में 1 से 10 तक का निबंधन क्रमांक परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची की स्वीकृति के बाद ही आवंटित किया जायगा ।
5. ज्ञातव्य हो कि प्रत्येक निबंधन पदाधिकारी केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 50 द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र संख्या-24 के अनुसार एक स्थायी पंजी का संधारण करेंगे जिसमें मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 47, 49, 50, 52, 53, 54 एवं 55 से संबंधित उपधाराओं के अनुसार इनमें प्रवृष्टि की जायगी । यह भी उल्लेखनीय है कि निबंधन चिन्ह का प्रदर्शन (क्पेचसंल) केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 51 के अनुसार किया जायेगा। किसी भी गाड़ी का निबंधन मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1992 तथा झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली 2000 एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/कार्यालय आदेशों के आलोक में नियमानुसार की जायेगी ।
6. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

श्री रतन कुमार,  
सरकार के सचिव ।

-----

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 217-50 +250 ।